"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल 2015—चैत्र 13, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 1/03/2012/एक/14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में उल्लेखित स्थान पर तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पदस्थ करता है :—

अ. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री ए. एम. जूरी (भापुसे-2000)	पुलिस अधीक्षक, बालोद	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, योजना प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री आनंद छाबड़ा (भापुसे-2001)	पुलिस अधीक्षक, दुर्ग	उप पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल ऑपरेशन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर तथा एस.आई.बी. का अतिरिक्त प्रभार.
3.	श्री सुन्दरराज पी. (भापुसे-2003)	पुलिस अधीक्षक, सरगुजा	पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव
4.	श्री आर. एस. नायक (भापुसे-2004)	पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम	पुलिस अधीक्षक, सरगुजा
5.	श्री जी. एस. दर्रो (भापुसे-2004)	पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर	पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. (प्रशासन), बघेरा, दुर्ग.
6.	श्री जे. एस. बट्टी (भापुसे-2004)	सेनानी, पी.टी.एस., जगदलपुर	पुलिस अधीक्षक, एस.आई.बी., जगदलपुर एवं सेनानी, पी.टी.एस., जगदलपुर का अतिरिक्त प्रभार.
7.	श्री राहुल भगत (भापुसे-2005)	पुलिस अधीक्षक, रायगढ़	पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम
8.	श्री शेख आरिफ हुसेन (भापुसे-2005)	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन/रेल्वे/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर	पुलिस अधीक्षक, बालोद
9.	श्री संजीव शुक्ला (भापुसे-2005)	पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव	पुलिस अधीक्षक, रायगढ़
10.	श्री मयंक श्रीवास्तव (भापुसे-2006)	मान. राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर.	पुलिस अधीक्षक, दुर्ग
11.	श्री राजेन्द्र नारायणदास (भापुसे-2006)	पुलिस अधीक्षक, कांकेर	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन/रेल्वे/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.
12.	श्री जितेन्द्र सिंह मीणा (भापुसे-2007)	पुलिस अधीक्षक, जशपुर	पुलिस अधीक्षक, कांकेर
13.	श्रीमती नीथू कमल (भापुसे-2008)	पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस., माना रायपुर.	पुलिस अधीक्षक, वि.आ.शा., पुलिस मुख्यालय, रायपुर.
14.	श्री गिरिजाशंकर जायसवाल (भापुसे-2010)	पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), बीजापुर.	पुलिस अधीक्षक, जशपुर
15.	श्री सदानंद कुमार (भापुसे-2010)	पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), सुकमा.	पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च, 2015

क्रमांक एफ 1/01/2014/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. श्रीराम, भा.व.से. (2009), उप निदेशक, इन्द्रावती टाईगर रिजर्व, बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ करता है तथा इनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च, 2015

क्रमांक एफ 1-02/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विश्वेश कुमार (भावसे-2007), वन मण्डलाधिकारी, कबीरधाम वन मण्डल, कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ करता है तथा इनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपता है.

श्री विश्वेश कुमार, भा.व.से. (2007), द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा का पदभार ग्रहण करने पर श्री शिव अनंत तायल (भाप्रसे-2012), अनुविभागीय अधिकारी, जांजगीर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च, 2015

क्रमांक एफ 1-02/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (4) में दर्शाये अनुसार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्नानुसार पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री सी. एल. अग्रवाल, (1997)	उप निदेशक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, बिलासपुर.	संचालक, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, बिलासपुर.
2.	श्री एस. एस. कंवर, (2003)	वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल.	वनमंडलाधिकारी, धर्मजयगढ़ वन मंडल
3.	श्री माथेश्वरन व्ही., (2006)	संचालक, अचानकमार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, बिलासपुर.	उप निदेशक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, बिलासपुर.
4.	श्री कृष्ण राम बढ़ई	उप-प्रबंधक संचालक, मनेन्द्रगढ़ जिला यूनियन, कोरिया.	वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मंडल
5.	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	उप प्रबंधक, लघु वनोपज संघ, बिलासपुर, वृत्त कार्यालय.	जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, बिलासपुर.
6.	श्री आलोक कुमार तिवारी	उपवनमंडलाधिकारी, राजिम, गरियाबंद वनमंडल.	वनमंडलाधिकारी, कबीरधाम वन मंडल
7.	श्री अमिताभ बाजपेयी	उपप्रबंधक, लघु वनोपज संघ, वृत्त कार्यालय, दुर्ग	वनमडलाधिकारी, महासमुन्द वन मंडल
8.	श्री रामअवतार दुबे	उप-प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, जिला युनियन, राजनांदगांव.	वनमंडलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल.

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	श्री बी. एस. ठाकुर	उपवनमंडलाधिकारी, सरायपाली, महासमुंद.	वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल
10.	श्री रमेश चंद्र दुग्गा	उपवनमंडलाधिकारी, पश्चिम, कापसी, पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल.	जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, जगदलपुर.

2. श्री सी. एल. अग्रवाल (भा.व.से.-1997) द्वारा नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, बिलासपुर के असवंर्गीय पद को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम-2007 के नियम-11 के तहत पद प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय वन सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च, 2015

क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-54-1/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2015/1206, दिनांक 12-2-2015 द्वारा नगरपालिका परिषद् खरसिया के वार्ड क्रमांक-7 के पार्षद पद के निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार दिनांक 16 मार्च, 2015, दिन सोमवार को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा.

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम, (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका परिषद् खरसिया के वार्ड क्रमांक-7 अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 16 मार्च, 2015, दिन सोमवार को मतदान के लिए सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च, 2015

क्रमांक एफ 7-11/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती संजीता गुप्ता, महाप्रबंधक-2, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ को दिनांक 04-03-2015 से 11-03-2015 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती गुप्ता, महाप्रबंधक-2, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2015

क्रमांक एफ-1-8/31/छ.ग.सिं.प्र.नियम 2006/एस-2/2012(पार्ट).—छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 की धारा 37 के उप-नियम (1) (यथा संशोधित 24 नवम्बर 2011) में निम्नानुसार शुद्धि-पत्र जारी करता है, अर्थात् :—

शुद्धि-पत्र

छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 24 नवम्बर, 2011 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक-एफ 11-3/06/आया/40, के हिन्दी पाठ में :—

पृष्ठ क्र. 2331 में,—

1. सरल क्रमांक 1 में, "(एक)" को "(i)" पढ़ा जाए.

2. सरल क्रमांक 2 में, जहां कहीं भी "(दो)" आया हो को "(ii)" पढ़ा जाए.

3. सरल क्रमांक 3 में,—
   (क) "(चार)" को "(iv)" पढ़ा जाये.
   (ख) "(पांच)" को "(v)" पढ़ा जाये.

No. F-8/31/CGSP Niyam 2006/S-2/2012(Part),—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Chhattisgarh Sinchai Prabhandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No. 20 of 2006), the State Government, hereby issues the following corrigendum in the sub rule (1) of clause 37 (Amended 24 November 2011) of Chhattisgarh Sinchai Prabhandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Niyam, 2006, namely :—

CORRIGENDUM

In the Hindi version of Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Niyam, 2006 as Published in Chhattisgarh Gazette dated 24 November 2011 vide Amendment Notification No. F 11-3/06/Aya/40, following shall be read :—

In Page No. 2331 :—

1. At Serial No. 1 "(एक)" shall be read as "(i)".

2. At Serial No. 2 "(दो)" where exists shall be read as "(ii)".

3. At Serial No. 3 :—
   (a) "(चार)" shall be read as "(iv)".
   (b) "(पांच)" shall be read as "(v)".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. गुप्ता, उप-सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोरबा	कोरबा	श्री सुमीत कपूर, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा.

No. F 11-3/2013/MBV/50,—In exercise of the powers conferred by the sub section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Board Korba by notifying First Class Judicial Magistrate, mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in the column No. 3 :—

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Distt.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Korba	Korba	Shri Sumit Kapoor, Judicial Magistrate, first Class, Korba.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बायलर क्रमांक-एम.पी./3825 को दिनांक 01-02-2015 से 31-03-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2015

क्रमांक 2096/388/21-अ/स्था./छ.ग./2015.—राज्य शासन, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष, 2016 में अपना अधिवार्षिकीय आयु 62 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में अंकित अधिकारी के नाम के समक्ष स्तंभ क्रमांक 4 में उल्लेखित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम तथा पदनाम (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति दिनांक (4)
1.	श्री एम. बी. देशमुख, अवर सचिव	24-11-1954	30-11-2016

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक 1651/3525/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती सीमा गोलछा, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक 1655/3646-3713/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त श्री इन्दरचंद राकेचा, अधिवक्ता, जिला-बालोद (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 04-09-2014 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक 1659/3950/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक 1661/3950/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राजू दास, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्रमांक 1663/3537/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री यशवंत कौशिक, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-धमतरी (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2015

क्रमांक 1980/51/21-ब/छ.ग./2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, दन्तेवाड़ा (छ.ग.) के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्रीमती वीनू हिरवानी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन, 103-विशेष न्यायालय, 0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2015

क्रमांक 2194/3896/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अशोक कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक 2311/3227/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री देवब्रत दत्ता, अधिवक्ता, को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक 2313/3227/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सी. एस. ठाकुर, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक 2315/3227/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती नवनीता पाण्डेय, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक 2317/3227/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती सुनीता ठाकुर, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक 2319/3227/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री भागवत प्रसाद साहू, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक 2321/3227/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री कुन्दन सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए पूर्व अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री लक्ष्मीकांत तिवारी के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक 2323/3227/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री शिवानंद शेंडे, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए पूर्व अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री नरेश सिंह के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक 2325/3227/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री संजय नामदेव, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए पूर्व अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री छेदीलाल यादव के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक 2341/3771/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नारायण सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-महासमुन्द (छ.ग.) के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए पूर्व अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री जितेन्द्र कुमार साहू के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4787/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी प.ह.नं. 20	7.195	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मु. चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बैराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4788/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	अमोदा प.ह.नं. 30	29.276	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मु. चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बैराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4789/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	परसदा प.ह.नं. 30	8.361	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मु. चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बैराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4790/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बरेकेलकला प.ह.नं. 30	2.263	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मु. चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बैराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4791/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	करही प.ह.नं. 27	0.369	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4792/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	परसदा प.ह.नं. 30	2.968	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4793/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	किकिरदा प.ह.नं. 24	4.017	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4794/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	चिस्दा प.ह.नं. 28	1.100	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4795/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	अमोदा प.ह.नं. 30	5.409	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4796/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	घोघरी प.ह.नं. 16	0.024	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4797/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	रनपोटा प.ह.नं. 19	1.618	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4798/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव प.ह.नं. 19	0.279	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4799/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नरियरा प.ह.नं. 18	0.016	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4800/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प.ह.नं. 17	1.531	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	सरहर - कुम्हारीकला निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4801/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	भोथिया प.ह.नं. 06	1.518	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	दर्राभांठा-भोथिया मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4802/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बासीन प.ह.नं. 16	1.483	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4803/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	पेण्ड्री प.ह.नं. 29	0.193	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4804/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बसंतपुर प.ह.नं. 12	6.560	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, सर्वेक्षण एवं बैरॉज निर्माण, संभाग क्र.-1, खरसियां.	साराडीह बैरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4805/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	उपनी प.ह.नं. 12	55.172	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, सर्वेक्षण एवं बैरॉज निर्माण, संभाग क्र.-1, खरसियां.	साराडीह बैरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4806/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह प.ह.नं. 22	50.977	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, सर्वेक्षण एवं बैरॉज निर्माण, संभाग क्र.-1, खरसियां.	साराडीह बैरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4807/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सकराली प.ह.नं. 13	26.200	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, सर्वेक्षण एवं बैरॉज निर्माण, संभाग क्र.-1, खरसियां.	साराडीह बैरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4808/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	नवापारा प.ह.नं. 12	51.397	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, सर्वेक्षण एवं बैरॉज निर्माण, संभाग क्र.-1, खरसियां.	साराडीह बैरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4809/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	हसौद प.ह.नं. 29	0.375	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	हसौद गुजिया बोर मार्ग में सोन नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4810/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिंघनसरा प.ह.नं. 20	0.077	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-06 नंदेलीभांठा, सक्ती.	सिंघनसरा ऐनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4811/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नवापाराकला प.ह.नं. 11	0.097	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-06 नंदेलीभांठा, सक्ती.	सिंघनसरा ऐनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4812/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सकरेली बा. प.ह.नं. 16	0.032	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-06 नंदेलीभांठा, सक्ती.	सकरेली वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4813/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प.ह.नं. 17	0.016	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-06 नंदेलीभांठा, सक्ती.	दर्री नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4814/भू-अर्जन/29/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	कपिस्दा प.ह.नं. 23	0.277	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र.-06 नंदेलीभांठा, सक्ती.	बेलकर्री - बावनबुडी एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4815/भू-अर्जन/11/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	देवरहा प.ह.नं. 27	0.685	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय-चांपा.	निर्माणाधीन बसंतपुर बैराज के अंतर्गत अतिरिक्त डूब क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4816/भू-अर्जन/10/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	बसंतपुर प.ह.नं. 27	0.303	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय-चांपा.	निर्माणाधीन बसंतपुर बैराज के अंतर्गत अतिरिक्त डूब क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4817/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	पेण्ड्री प.ह.नं. 46	0.024	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	जांजगीर - केरा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4818/भू-अर्जन/28/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	गोविन्दा प.ह.नं. 21	0.295	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	पेण्ड्री गोमदा मार्ग पर हसदेव नदी पर उच्च-स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4819/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	धाराशिव प.ह.नं. 07	1.790	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	पेण्ड्री-गोविन्दा मार्ग पर हसदेव नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4820/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	हरदी (हरि) प.ह.नं. 05	0.333	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	रोगदा-बिरगहनी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4821/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अड़भार प.ह.नं. 08	2.285	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	सक्ती - टुण्ड्री मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4822/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	परसा प.ह.नं. 09	1.611	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	अड़भार-पोता-फगुरम-खरसियां मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4823/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कर्रापाली प.ह.नं. 08	0.024	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	सक्ती - टुण्ड्री (मुख्य जिला मार्ग) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4824/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	हरदी प.ह.नं. 07	1.836	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग चांपा.	सक्ती - टुण्ड्री मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/4825/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बरदुली प.ह.नं. 21	0.061	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र.-6, नंदेलीभांठा, सक्ती.	बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2015

क्रमांक 27/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
  (ख) तहसील-कोटा
  (ग) नगर/ग्राम-मिट्ठुनवागांव
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-01.07 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	303/2	0.23
	307/6	0.14
	307/8	0.15
	309	0.50
	307/9	0.05
योग	5	1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोगसरा व्यपवर्तन योजना पूरक मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोण्डागांव
- (ख) तहसील-फरसगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भूमका, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.882 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	14/1	0.113
	31, 32/1	0.056
	13/7	0.036
	113/3, 15/2, 19/2, 20	0.146
	29/79, 75/19	0.073
	29/12, 30, 75/4	0.101
	29/11, 29/34	0.198
	29/25	0.097
योग		0.820

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भूमका नाला सेतु कि.मी. 1/6 भूमका-आलोर मार्ग के पहुंच मार्ग एवं सेतु निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. ध्रुर्वे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 10 फरवरी 2015

क्रमांक/505/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि चारामा निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भू उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कार्यालय (प्रदर्शनी स्थल मंगल भवन) चारामा, कार्यालय कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कांकेर में दिनांक 18-02-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. चारामा निवेश क्षेत्र की सीमायें निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

चारामा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कन्डेल, माहुद एवं भेलाई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम भेलाई, तेलगुड़ा, भिरौद, कर्राजैसा, सिरसिदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कर्राजैसा, सिरसिदा, गिरहोला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम सिरसिदा, दरगहन, चारामा, गिरहोला, कन्डेल एवं माहुद ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भू उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस प्रकार सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के समयावधि के भीतर लिखित रूप में सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कांकेर को प्रस्तुत किया जाना चाहिये.

भूमि के वर्तमान भू उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 505/T & CP/2015.— Notice is hereby given that the existing use map for Charama Planning Area has been prepared under section 15 sub-section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy there of is available for inspection from 18-02-2015 during office hours in the office of Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat (Exibition Venue Mangal Bhavan) Charama, Office of the Collector, North Bastar, Kanker and Office of Assistant Director, Town & Country Planning, Kanker. The limit of the Charama Planning Area is defind in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Charama Planning Area

NORTH	:	Villages Kandel and Mahud upto Northern limit of Village.
EAST	:	Bhelai, Telguda, Birod, Karrajaisa upto the Eastern limit of Village.
SOUTH	:	Village Karrajaisa, Sirsida and Girhola upto Southern limit of Village.
WEST	:	Village Sirsida, Dargahan. Charama, Girhola, Kandel & upto the Western limit of Village Mahud.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Kanker within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Director.

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 2 मार्च 2015

क्रमांक/190/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सरायपाली निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उनकी एक-एक प्रति प्रदर्शनी स्थल मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका सरायपाली, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली जिला-महासमुन्द एवं सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय महासमुन्द राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 13-03-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र सीमा में निम्नलिखित ग्राम अंकित हैं :—

निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची :—

1. सराईपाली
2. कुटेला
3. जोगनीपाली

4. सानपंघी
5. हर्राटार
6. लुकापारा
7. बालसी
8. पतेरापाली
9. झिलमिला

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसा आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, महासमुन्द द्वारा विचार किया जावेगा.

प्रदर्शनी स्थल :— नगर पालिका कार्यालय, सरायपाली.

सूर्यभान सिंह ठाकुर,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th February 2015

No. 126/Confdl./2015/II-2-1/2015.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and posted on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office (s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Jagdamba Rai, I Additioanl District & Sessions Judge.	Raigarh	Raigarh	Raigarh	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.
2.	Shri Santosh Sharma, I Additional District & Sessions Judge.	Jagdalpur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.
3.	Shri Hemant Saraf, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Kanker	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Shri Sirajuddin Qureshi, III Additional District & Sessions Judge.	Jagdalpur	Jagdalpur	Jagdalpur	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.
5.	Shri Manish Kumar Naidu, III Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.
6.	Shri Chandra Kumar Ajgalley, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).	Korba	Korba	Korba	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.

Bilaspur, the 19th February 2015

No. 128/Confdl./2015/II-2-1/2015.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Arvind Kumar Sinha, Additional District & Sessions Judge.	Bhatapara	Durg	Durg	I Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Shailesh Kumar Ketarap, III Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Additional District & Sessions Judge.
3.	Smt. Garima Sharma, II Additional District & Sessions Judge.	Raigarh	Raigarh	Raigarh	I Additional District & Sessions Judge.

By order of the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.